

आदेश की  
क्रम सं० और  
तारीख

## आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कारवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख के  
साथ

### प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 28/2018 रामईश्वर उपाध्याय एवं अन्य वनाम् राजगीर राम एवं अन्य आदेश

22/08/18

आवेदक राम ईश्वर उपाध्याय, रामदेव उपाध्याय, कृष्ण मुरारी उपाध्याय, अशोक कुमार उपाध्याय सभी पिता-कांति उपाध्याय एवं प्रवीण कुमार उपाध्याय, पिता-स्व० रवि शंकर उपाध्याय, ग्राम-उपाध्याय विगहा, पोस्ट-मैनपुरा चंदा, थाना-मेहन्दिया, अंचल-कलेर, जिला-अरवल ने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि को नापी कराने, पिलरींग कराने, कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि निम्न है:-

खाता	खेसरा	रकबा	चौहद्दी
08	166 167	69 $\frac{1}{2}$ डी० 21 डी०	उत्तर-मेधनाथ यादव, भोला राम दक्षिण-मानरूप साव पूरब-प्रतिवादी रामजी राम वगैरह पश्चिम-जवाहर यादव

मौजा-उपाध्याय विगहा, थाना-कलेर, अंचल-कलेर, जिला-अरवल

वाद की प्रविष्टि की गई। प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित हुए और वाद को सुनवाई पर रखा गया। प्रतिवादीगण सुनवाई की तिथि को अनुपस्थित रहे। वादी को सुनकर उभय पक्षों से लिखित बहस की माँग करते हुए वाद को आदेश पर रखा गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) विवादित भूमि वादीगण के पिता, चाचा एवं दादा के नाम से 10 डी० भूमि 17.06.1949 एवं 53.5 डी० भूमि 10.06.1938 तथा 45 डी० भूमि दिनांक 04.01.1943 को निबंधित केवाला के माध्यम से खरीदगी भूमि है।
- (2) वादीगण के पिता कांति उपाध्याय, चाचा जर्नादन उपाध्याय एवं वादी संख्या-05 के दादा के नाम से डिमांड कायम कराकर राजस्व का भुगतान करते चले आ रहे हैं।
- (3) वादीगण की सम्पूर्ण भूमि मिलजुमले एक ही जगह है जो खरीदगी पश्चात् आल तोड़कर खेती का कार्य किया जा रहा है।
- (4) वादी रामईश्वर उपाध्याय द्वारा 06 डी० भूमि विकी किये हैं एवं अशोक उपाध्याय द्वारा 4 कट्टा भूमि विकी किया गया है।
- (5) विवादित भूमि के प्रतिवादीगण चौहद्दीदार है जो भूमि में बढ़कर सीमा विवाद कायम करते हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में माँगे गये अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध वादी के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) विवादित प्लॉट 166 एवं 167 में 07 डी० तथा 03 डी० वादी के केवाला के पूर्व से ही

प्रतिवादीगण एवं सभी ग्रामीण 10 फीट रास्ता के रूप में प्रयोग करते चले आ रहे हैं जो वर्तमान में भी रास्ता कायम हैं।

(2) वादीगण रास्ता को बंद करना चाहते हैं।

(3) प्रतिवादीगण की मकान की दरवाजा विवादित प्लॉट (रास्ता) के तरफ खुला हुआ है।

(4) प्रतिवादीगण भूमिहीन हैं जिसे आने जाने का मात्र एव की रास्ता है जिसे वादीगण जवदरस्ती खत्म कर देना चाहते हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारीज किया जाये।

उभय पक्ष की सहमति से विवादित भूमि की सीमांकन सर्वे जानाकर अधिवक्ता आयुक्त श्री पी० सी० महाराज से कराई गई। अधिवक्ता आयुक्त ने अपने नापी प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि वादीगण मिलजुमले प्लॉट में कुल 108 डी० कय किये हैं जिसमें 95 डी० पर वादीगण का दखल कब्जा है। प्लॉट नं०-166 में पुरब 2.3 डी० पर मकान एवं 02 डी० परती कुल 4-3 डी० पर शिव प्रसाद साव का अवैध दखल कब्जा पाया। उसी प्लॉट में 4.2 डी० परती भूमि पर राजगीर राम का अवैध दखल कब्जा है तथा बखोरी राम द्वारा 04 डी० परती पर दखल कब्जा पाया गया।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का एवं मापी का अवलोकन किया वादीगण द्वारा अपने पिता, चाचा श्री कांति उपाध्याय व जनाधर्न उपाध्याय, पिता-सुबा उपाध्याय के नाम से केवाला के आधार पर दावा करते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य (कागजात) प्रस्तुत नहीं किया कि विवादित भूमि पर रास्ता कायम है जो प्रतिवादीगण के अलावे अन्य ग्रामीण भी रास्ता का प्रयोग करते हैं और न ही सर्वे जानकार अधिवक्ता ने अपने मापी प्रतिवेदन में ऐसे किसी रास्ता का उल्लेख किया है।

वादीगण द्वारा अपने पिता एवं चाचा के नाम से दिनांक 10.06.1938 को निबंधित केवाला के माध्यम से खरीद किया है जिसका राजस्व का भुगतान कर रहे हैं। प्रतिवादीगण द्वारा रास्ता से संबंधित किसी प्रकार का साक्ष्य न्यायालय में नहीं जमा किये हैं। सर्वे जानकार अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि प्लॉट नं०-166 एवं 167 में कुल 108 डी० कय आवेदक ने किया है जिसमें 95 डी० पर आवेदक का कब्जा है। शेष 12 डी० धट्टा है जिसका प्लॉट नं०-166 में 2.3 डी० पर मकान एवं 02 डी० परती कुल 4.3 डी० शिव प्रसाद सिंह का दखल कब्जा है। पुरब 4.2 डी० पर राजगीर राम एवं 04 डी० पर बखोरी राम का दखल कब्जा है। प्रतिवादीगण द्वारा नापी प्रतिवेदन के विरुद्ध में न्यायालय में कोई आपति एवं दस्तावेज दाखिल नहीं किया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में नापी प्रतिवेदन को संपुष्ट किया जाता है। वादी की कार्यवाई समाप्त की जाती है। नापी प्रतिवेदन आदेश का अंश माना जायेगा।

लेखापित एवं संशोधित

by 22-11-19

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता  
अरवल।

by 22-11-19

प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
अरवल।